सं० : 71(ii)/सी०ओ०(ASB C.C.)/10 दि० : 23/12/10

परिशिष्ट–6

(प्रपत्र–'स')

भाग–द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्रः
(आवेदन पत्र के भाग–अ, ब एवं स की फोटोकापी पर जारी किया जाए)

......संजय प्लेस...... वार्ड / योजना / मौहल्ला / सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या/ब्लाक सं० 119/8 एवं 120/8 पर के B.O.T. निर्मित भवन के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री ......भवान सिंह जिलर (JE)...... (पदनाम) आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक ....20.12.10...... को कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा–15क (2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर ....
पदनाम ....
कार्यालय की मुहर ....

दिनॉक ....

तनवीर ज़फर अली
उपाध्यक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण

ASB PROJECTS LTD. AGRA

विभाग..
फाइल संख्या..............................
क्रम संख्या..............................

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

विवरण व आदेश

[redacted]/सचिव/उपाध्यक्ष महोदया,

कृपया पत्रावली में दाहिनी ओर संलग्न मै0ए0एस0बी0प्रोजेक्ट्स लि0, संजय प्लेस, आगरा के पत्र दिनांक 01.03.2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें उनके द्वारा प्राधिकरण की संजय प्लेस व्यवसायिक योजना में आवंटित ब्लॉक सं0 119/8 के अन्तर्गत सातवें एवं आठवें तल का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि मै0ए0एस0बी0 प्रोजेक्ट्स लि0 अपने उक्त आवेदन के साथ उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार मै0ए0एस0बी0 प्रोजेक्ट्स लि0 को संजय प्लेस व्यवसायिक योजना के ब्लॉक सं0 120/8 का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23.12.2010 को जारी किया जा चुका है तथा ब्लॉक सं0 119/8 के 6वें तल तक का पूर्णता प्रमाण–पत्र दिनांक 23.12.2010 को प्राधिकरण द्वारा जारी किया जा चुका है।

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 01.03.2016 के साथ प्राधिकरण की संजय प्लेस व्यवसायिक योजना में आवंटित ब्लॉक सं0 119/8 के अन्तर्गत सातवें एवं आठवें तल का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने का अनुरोध करते हुए निम्न अभिलेख संलग्न किये गये हैं–

1– ब्लॉक सं0 119/8 के 7वें व 8वें तल का दिनांक 29.02.2016 को जारी शमन मानचित्र ।

2– शमन शुल्क भुगतान की रसीद ।

3– ब्लॉक सं0 119/8 के 6वें तल तक का जारी पूर्णता प्रमाण–पत्र सं0 71/डी/टी0पी0 (एएसबी–सीसी)/10 दिनांक 23.12.2010 ।

4– आवेदक द्वारा बेसमेन्ट में बी0ओ0टी0 पार्किंग का जारी पूर्णता प्रमाण–पत्र संख्या–71(i)/डी/टी0पी0 (एएसबी–सीसी)/10 दिनांक 23.12.2010 ।

5– अग्निशमन विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र सं0 एफ.एस.–1076/2015 दि0 28.09.15 की छायाप्रति।

6– भवन की संरचनात्मक स्थिरता एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र एवं संरचनात्मक अभियंता द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रतियाँ।

7– स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा अनुमोदित स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं भूकम्परोधी किये गये प्राविधानों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

8– स्थल पर पूर्ण किये गये जलापूर्ति के कार्य, मलोत्सारण व जल निकासी के कार्य से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियाँ।

9– स्थल पर पूर्ण किये गये विद्युतापूर्ति के कार्य से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छायाप्रति है।

10–सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, आगरा जोन, आगरा द्वारा जारी निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

11–स्थल पर पूर्ण कराये गये सोलर वाटर हीटिंग के फोटोग्राफ्स एवं बिल की छायाप्रति।

12–स्थल पर पूर्ण कराये गये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के कार्य से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

13–लिफ्ट के संबंध में सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन, आगरा जोन, आगरा व्दारा जारी नवीनीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

यह भी अवगत कराना है कि मानकों से अधिक निर्माण करने पर प्रवर्तन अनुभाग द्वारा पत्रावली सं० एनएफएच–1/वीसी/20/07–08 द्वारा दिनांक 29.02.2016 को प्रश्नगत भवन/निर्माण का शमन किया जा चुका है। भवन का 7वाँ तल हाल के रूप में तथा 8वाँ तल मल्टीप्लैक्स के रूप में निर्मित है। वर्तमान में आवेदक द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.03.2016 द्वारा ब्लॉक सं० 119/8 (7वॉ व 8वॉ तल) का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः मै०ए०एस०बी० प्रोजेक्ट्स लि० को संजय प्लेस व्यवसायिक योजना के ब्लॉक सं० 119/8 के अन्तर्गत निर्मित 7वें एवं 8वें तल का पूर्णता प्रमाण–पत्र निम्न शर्तों/प्रतिबधों के अधीन जारी किये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है–

1– आवेदक द्वारा यदि प्रश्नगत भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को प्राधिकरण से पुनः नियमानुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।

2– फायर विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार समय–समय पर आवश्यक व्यवस्थाएँ पक्ष को सुनिश्चित करनी होगीं एवं प्रतिवर्ष अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

3– आवेदक को समस्त विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र में निहित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

4– मल्टीप्लैक्स के सम्बन्ध में उ०प्र० चलचित्र नियमावली–1951 के अन्तर्गत सम्बन्धित विभाग से वांछित अनापत्ति प्राप्त कर मल्टीप्लैक्स के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/गाइड लाइन्स तथा उ०प्र० चलचित्र नियमावली–1951 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

5– शमन मानचित्र में लगायी गयी समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

6– भविष्य में भवन उपविधियों के प्राविधानों का उल्लंघन होने की अवस्था में पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। तदनुसार वांछित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

02/03/16.
T.P.
नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण आगरा

अधिशासी अभियंता,
आगरा विकास प्राधिकरण।

02/03/16
सचिव
आगरा विकास प्राधिकरण

573/CTP/17
29-8-17

3/3/16
उपाध्यक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा